न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा
मु.नं. 38/2024

रामकिशोर पुत्र कल्याण जाति मीना खौंचपुरी तहसील महवा जिला दौसा।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा।

दावा वावत घोषणा खातेदारी
व इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय दिनांकः 31.07.2024

वादी के वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खौंचपुरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हैक्टर वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है जो विरासत में उनके पिता से प्राप्त हुई है। जमाबंदी सं. 2044–2047 में गत खसरा नम्बर 78 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी रामकिशोर पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति मीना व कजोडी पुत्र काना जाति राणा हि. 1/2 सा. देह के नाम दर्ज रही है लेकिन भू प्रबंध विभाग के कार्य के समय खतौनी बंदोवस्त 2050–69 तैयार करते समय गत खसरा नम्बर नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए खातेदार के कॉलम में रामकिशोर बल्द कल्याण 1/2 कजोडी बल्द काना 1/2 कौम राणा सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि की वादी की जाति मीना है जो मिली भगत से वादी की जाति राणा दर्ज कर दी गई थी। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग को परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में जाति मीना दर्ज है। इससे वादी को भारी नुकसान हो रहा है जिसे राणा के स्थान पर मीना दुरुस्त किया

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

CamScanner

जाना आवश्यक है। दिनांक 14.02.2024 को तहसीलदार महवा को प्रार्थना पर इस आश्य का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में वादी की जाति मीना दर्ज थी किन्तु भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा मीना के वजाय राणा दर्ज कर दी गई जिसमें वादी की जाति मीना दर्ज की जावे लेकिन तहसीलदार महवा ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा सक्षम न्यायालय में ही चाराजोही करो। तहसीलदार महवा द्वारा इन्कार किये जाने से यह वादकरण उत्पन्न हुआ है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। अतः ग्राम खौंचपुरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हैक्टर में वादी की जाति राणा के वजांय मीना घोषित फरमाई जावे।

वादपंत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा पेश हुआ। तहसीलदार महवा ने जबाव में अवगत कराया है कि ग्राम खौंचपुरी तहसील महवा की आराजी संवत् 2050 में तहसील महवा में भू प्रबंध कार्य किया गया तथा मुतांबिक भू प्रबंध खतौनी बंदोवस्त संवत् 205–69 खाता सं. 140 में नवीन खसरा नम्बर 180 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.33 किता 2 रकबा 0.65 हैक्टर, रामकिशोर बल्द कल्याण हि. 1/2, कजोडी बल्द काना हि. 1/2 कौम राणा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है. जो माननीय न्यायालय के क्षेत्रोधिकार में है।

वादी रामकिशोर द्वारा अपने समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, सैकण्ड्री स्कूल परीक्ष 1982 की अंक तालिका की प्रतियॉ प्रस्तुत की है जिनमें वादी के नाम के सामने मीना अंकित है जो उक्त दस्तावेजात से सिद्व होता है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी रिकार्ड का

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

CamScanner

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी सं. 2044–2047 में गत खसरा नम्बर 78 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा की खातेदारी रामकिशोर पुत्र कल्याण हि. 1/2 जाति मीना व कजोडी पुत्र काना जाति राणा हि. 1/2 सा. देह के नाम दर्ज रही है लेकिन भू प्रबंध विभाग के कार्य के समय खतौनी बंदोबस्त 2050–69 तैयार करते समय गत खसरा नम्बर नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए खातेदार के कॉलम में रामकिशोर बल्द कल्याण 1/2 कजोडी बल्द काना 1/2 कौम राणा सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि की वादी की जाति मीना है। वादी रामकिशोर की जाति मीना के वजाय राणा सहवन से दर्ज हो गई है जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जबाव प्रतिवादी के आधार पर हम पाते है कि वादी की जाति मीना है जो सही है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज राणा के वजाय मीना दुरुस्त किया जाना उचित है। वादी अपने दावा को सिद्व करने में सफल रहे है। दावा वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं ग्राम खौंचपुरी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हैक्टर में वादी के नाम के आगे दर्ज राणा को हजफ किया जाकर जाति राणा के वजाय जाति मीना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)